



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092020-221550
CG-DL-E-03092020-221550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2673]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2020/भाद्र 12, 1942

No. 2673]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2020/BHADRA 12, 1942

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2020

का.आ. 3005(अ).—भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, की अधिसूचना फा. सं. के-12052-6/10/2017-एल.एच. तारीख 20 अप्रैल, 2020 में जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 1270(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2020, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के पृष्ठ-2 की तीसरी पंक्ति के नीचे सारणी में “पशुचिकित्सा और अनुसंधान, स्नातकोत्तर संस्थान, जयपुर” के स्थान पर “स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर” पढ़ें।

[फा. सं. के-12052-6/10/2017-एल.एच.]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव